

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी०संख्या-4/यो०व०-47/2015 व०प० राँची, दिनांक- 30.03.2015

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" के अंतर्गत कुल रु० 300.00 लाख (तीन करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 राज्य परियोजना तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वस करते हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अदृश शिकार के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना, वन्यप्राणी अपराध से सम्बंधित ऑकड़ें (Data Base) संकलित करना ताकि वन्यजीवों के अंगों के अदृश व्यापार रोकने में प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। इस योजना अंतर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से सम्बंधित मामलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उन समुदायों विशेषकर स्वतंत्र विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि का बजट विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग-निर्देशिका में निहित प्रावधान से अश्रुचित होगा।

4. स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुप्राणिकार/ इकाईवार राशि की विवरण निम्न प्रकार है-

शीर्ष का नाम	इकाई	विषय कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
मुख्य शीर्ष 2406-कानिकी तथा अन्य प्रणी वन-मुख्य शीर्ष 01-कानिकी, लघु शीर्ष 01-वन संरक्षण, विकास तथा संजोषण, उप शीर्ष 48-वन प्राणी अपराध निरोधन	मजदूरी	19P240601101450103	120.00	120.00
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101450323	180.00	158.00
कुल स्वीकृत राशि- दो करोड़ अठहत्तर लाख रुपये मात्र			300.00	278.00

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण के अनुसार होंगे, राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनातर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रण पदाधिकारियों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक/ मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुकूलन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास द्वारा इस योजनातर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

9. योजनाओं में सामग्री का क्रय पित्त विभाग द्वारा समन्वय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 18.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुयायताओं के अनुसार की जाएगी।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग पत्रांक-2581, दिनांक-17.04.1998 एवं समन्वय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से वन आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन वृद्धता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसूचना से कम नहीं हों।

14. मजदूरी का भुगतान क्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी दर में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह जिम्मेवारी रहेगी अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग का दुरंत देंगे।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समन्वय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा इन एवं पर्यावरण विभाग के सकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का समापन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किए जातवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रक-3542 दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासनाजन

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक -4/यो०ब०-47/2015

व०प०/रांची, दिनांक- 30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची, / विकास
अधुजा, झारखंड रांची / योजना-सह-दिल्ली वेमन, झारखंड, रांची / सूचना,
प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग झारखंड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड,
रांची / अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, रांची / संबंधित निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर
सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन, न्यांवराग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग(विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक -4/यो०ब०-47/2015

व०प०/रांची, दिनांक- 30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषांग पदाधिकारी को सूचनाएं
एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

क्रम	निकासी एवं व्यवस्थापिका	विवरण	आपूर्ति एवं सामग्री	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
2		प्रहार बल (Striking Force)				
1		सोसाइटी / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		युवा सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रक्षक किये गये अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)	9,094	0,000	9,094	9,094
1		रखरखाव कार्य, ट्रेनिंग/अभियोग मन खर्च, आरक्षक दवाइयों, शीप फीडर आदि				
5		निगरानी (Surveillance)	1,860	0,000	1,860	1,860
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, आरक्षणिक संचार उपकरण	28,094	15,140	12,954	28,094
		योग				
1	वन प्रपञ्चल पदाधिकारी, बीकारे वन प्रपञ्चल	एच केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का यतन	6,000	4,000	2,000	6,000
1		एच केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कंप्यूटर इत्यादि का मध्य, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि				
2		प्रहार बल (Striking Force)				
1		सोसाइटी / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		युवा सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रक्षक किये गये अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रखरखाव कार्य, ट्रेनिंग/अभियोग मन खर्च, आरक्षक दवाइयों, शीप फीडर आदि	9,094	0,000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)	2,860	0,000	2,860	2,860
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, आरक्षणिक संचार उपकरण	29,094	15,140	13,954	29,094
		योग				
1	वन प्रपञ्चल पदाधिकारी, हजारीबाग वन प्रपञ्चल	एच केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का यतन	6,000	4,000	2,000	6,000
1		एच केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कंप्यूटर इत्यादि का मध्य, कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि				
2		प्रहार बल (Striking Cell)				
1		सोसाइटी / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		युवा सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रक्षक किये गये अन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रखरखाव कार्य, ट्रेनिंग/अभियोग मन खर्च, आरक्षक दवाइयों, शीप फीडर आदि	9,094	0,000	9,094	9,094
5		निगरानी (Surveillance)	1,860	0,000	1,860	1,860
1		नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायोमिटर, आरक्षणिक संचार उपकरण	28,094	15,140	12,954	28,094
		योग				

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and some illegible text.

क्रम	विकासी एवं व्यापक पदाधिकारी	विवरण	प्रस्तावित राशि	प्राप्त राशि	अनुचित व्यय राशि	कुल
1	वन प्रशासन पदाधिकारी, भारतीय वन सेवा	वन केंद्रीय प्रशासन (Sub-Central Cell) का वन-उप केंद्रीय प्रशासन / कोर्पोरेट कंप्यूटर इत्यादि का वन-कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वार्षिक इत्यादि	6,000	6,000	2,000	6,000
2		वन-बल (Sinking Force)				
1		तेलगाई / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का वन-उप इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		वन-संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रेस्क्यू किये गये वन-प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेकिंग/सर्चिंग, वन, डाट, आभरणक दवाईयों, औषधियाँ आदि	9,094	9,094	0,000	9,094
5		निगरानी (Surveillance)	1,860	1,860	7,860	1,860
1		नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन थर्मोवाइजर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	28,094	15,140	12,954	28,094
		योग				
1	वन प्रशासन पदाधिकारी, वन-उप प्रशासन	वन केंद्रीय प्रशासन (Sub-Central Cell) का वन-उप केंद्रीय प्रशासन का स्थापना/जीर्णोद्धार, कंप्यूटर इत्यादि का वन-कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वार्षिक	6,000	6,000	2,000	6,000
2		वन-बल (Sinking Force)				
1		तेलगाई / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का वन-उप इत्यादि	9,000	9,000	0,000	9,000
3		वन-संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4		रेस्क्यू किये गये वन-प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)				
1		रेस्क्यू कार्य, ट्रेकिंग/सर्चिंग, वन, डाट, आभरणक दवाईयों, औषधियाँ आदि	9,094	9,094	0,000	9,094
5		निगरानी (Surveillance)	1,860	1,860	7,860	1,860
1		नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन थर्मोवाइजर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण	1,370	1,370	1,370	1,370
		वन-प्राणी आश्रयों के वन-उप वन-उप पर CCTV एवं सीसीटीवी का वन-उप	17,000	17,000	17,000	17,000
		वन-उप वन-उप पर के वन-प्राणी एवं वन-उप की वन-उप Electronic Surveillance System की वन-उप	21,000	21,000	21,000	21,000
ii		वीन-उप का वन-उप	67,464	15,140	52,324	67,464

Handwritten signature and date: 25/09/2019

क्रम	विकासी एवं व्यक्तन व्यवहारिका	विवरण	प्रकल्पित शोष	म-व-र-री	आपूर्ति एवं तामगी	कुल
1	रथ प्रभावक प्रकारक	रथ केंद्रीय प्रलोचन (Sub-Central Cell) का गठन उप केंद्रीय प्रलोचन का स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर अपडेटर का मरम्मत इत्यादि	6.000	4.000	1.000	6.000
2		प्रहार बल (Striking Force) सोमपाई / तकनीकी विशेषज्ञ / अन्य कार्यवाहियों का मरम्मत इत्यादि	9.000	9.000	0.000	9.000
3		पुल सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) सिखानू किराये मगो बंग प्रशिक्षण के रथ रस्सा (upkeep of rescued animals) संरक्षण कार्य, दूरसूचनाइजिम मग, जार, आसपास टवईगो शीप फीडर आदि	9.094	0.000	9.094	9.094
4		निगरानी (Surveillance) नाईट विजिल सेवा, नाईट विजिल नागरिकसुमारी, अल्पमूलिक सेवाएं आकरस्य योग	1.864	0.000	1.864	1.864
5		निगरानी (Surveillance) 03 म-य प्राची आभयार्थी के मुझी द्वारा पर CCTV एवं सींटेर की क्रय योग	28.094	15.140	12.954	28.094
6		निगरानी (Surveillance) रथ बल संरक्षक एवं सैन्य विदेशक गज परिचालना, अनसोस्टुर	4.110	0.000	4.110	4.110
7		निगरानी (Surveillance) रथ बल संरक्षक एवं सैन्य विदेशक गज परिचालना, अनसोस्टुर	4.110	0.000	4.110	4.110
8		निगरानी (Surveillance) रथ बल संरक्षक एवं सैन्य विदेशक गज परिचालना, अनसोस्टुर	1.370	0.000	1.370	1.370
9		निगरानी (Surveillance) रथ बल संरक्षक एवं सैन्य विदेशक गज परिचालना, अनसोस्टुर	1.370	0.000	1.370	1.370
10		निगरानी (Surveillance) रथ बल संरक्षक एवं सैन्य विदेशक गज परिचालना, अनसोस्टुर	278.000	120.000	158.000	278.000
		योग				
		कुल योग				


 (एकदम रस्तानी)
 सरकार के विशेष सचिव

10/12/2006
 10/12/2006

62

50